

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 364 /2022

उनवान

मु. लाली पत्नी सुखेदव गुर्जर निवासी खारी खेड़ा मजरा भोजपुर तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीया

बनाम

- 1- नारायण पिता नारू गुर्जर निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा
- 2- राजू पिता नारू गुर्जर निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा
- 3- मु. गुमान पत्नी नारू गुर्जर निवासी भोजपुर तहसील शाहपुराग
- 4- देबी पिता नन्दा गुर्जर निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा
- 5- भोजा पिता नन्दा गुर्जर निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा
- 6- मु. लाली पत्नी शम्भुदास बैरागी निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा
- 7- मु. ललिता पत्नी सम्पतदास बैरागी निवासी भोजपुर तहसील शाहपुरा
- 8- देवा पिता रामकरण बागरिया निवासी झाड़ौल तहसील कोटड़ी

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री नमन ओझा
अधिवक्ता प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 12/10/2022

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम भोजपुर पटवार हल्का भोजपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1021 रकबा 1.42 है0, 1022 रकबा 0.95 है0 कुल कित्ता 2 रकबा 2.37 हैक्टेयर की प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 7 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 8 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीया के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम भोजपुर पटवार हल्का भोजपुर संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीया के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भोजपुर में स्थित प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 2 रकबा 2.37 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 900/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीया से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/10/2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा